

तारीख हुकम	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>श्री ईश्वरसिंह चौहान पुत्र बहादुरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सेला, तहसील- बाली, जिला पाली (राज.)</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली</p> <p>प्रथम सूचना अपील संख्या :- 87/2024</p> <p>जीसीएमएस नं. :- 2024/177</p> <p>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
18.11.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 13.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली पत्रांक 1176 दिनांक 30.10.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक 765 दिनांक 23.07.2024 उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी द्वारा अपनी आपत्ति जाहिर की गई। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 6. निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री)</p> <p style="text-align: center;">प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	